बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

माननीय, उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक–15.05.2026 को सम्पन्न "बाढ़ एवं सुखाड़ पूर्व तैयारियों" से संबंधित समीक्षा बैठक की कार्यवाही एवं निदेश।

माननीय, उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री की अध्यक्षता में "बाढ़ एवं सुखाड़ पूर्व तैयारियों" की समीक्षा की गयी।

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

2. माननीय मंत्री महोदय द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि, विभाग का मुख्य दायित्व नहरों के माध्यम से कृषकों को निरंतर एवं समुचित सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। इस हेतु वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समग्र एवं प्रभावी जल प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे जल संसाधनों का सतत् एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(कार्रवाई –सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रक्षेत्र, जल संसाधन विभाग, बिहार)

3. अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन द्वारा सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से दी जाने वाली सिंचाई सुविधा का उल्लेख करते हुए विभिन्न नहर प्रणालियों में नहर संचालन हेतु निर्धारित अवधि का उल्लेख किया गया। इसी क्रम में सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि, कृषि विभाग द्वारा सोन नहर प्रणाली का संचालन मई माह से हीं प्रारंभ किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कृषको के हित में उक्त अनुरोधित अवधि का क्षेत्रीय सत्यापन कराकर आवश्यक निर्णय लेने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई –अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी)

4. माननीय मंत्री महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि खरीफ–2026 सिंचाई अवधि में नहरों के प्रभावी एवं निर्बाध संचालन के लिए नहरों की स्थिति संतोषजनक बनाए रखना अनिवार्य है। अतः नहरों में पानी छोड़ने से पूर्व समस्त अभियंता (मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता) अपने–अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहरों का नियमित निरीक्षण करें । नियमित निरीक्षण से विभाग की स्थानीय जनता के बीच सकारात्मक छवि निर्मित होगी तथा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी । सभी अभियंताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे निष्ठापूर्वक एवं संकल्पबद्ध होकर अपने कार्यों का समुचित निर्वहन करें। यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि नहर तटबंधों को किसी भी प्रकार की क्षति या टूटान से बचाना संबंधित अभियंता की जिम्मेवारी होगी और इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।

(कार्रवाई –सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रक्षेत्र, जल संसाधन विभाग, बिहार)

5. योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी अवधि एवं नहर संचालन/बाढ़ अवधि का स्पष्ट उल्लेख एकरारनामा में रहे, जिससे कार्य की प्रगति एवं नहर संचालन में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न न हो। मिट्टी कार्य एवं संरचना निर्माण कार्य समानुपातिक रूप से गुणवत्तापूर्ण कराया जाए एवं तदनुसार हीं भुगतान सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई –सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रक्षेत्र, जल संसाधन विभाग, बिहार)

6. जिस नहर प्रणाली/प्रणालियों में अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँच पाता है, उसको चिन्हित कर सूचीबद्ध करते हुए संधारित किया जाए तथा उक्त समस्याओं के संभावित समाधान के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया। सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (PIM) के संदर्भ में यथा निर्दिष्ट कार्य किये जाने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई –सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रक्षेत्र, जल संसाधन विभाग, बिहार)

<u>बाढ़ अवधि 2026 की तैयारी एवं कटाव निरोधक कार्यों के प्रगति की समीक्षा में निम्नलिखित निर्देश दिए गए:</u>

7. विभाग द्वारा विभिन्न नदियों पर बाढ़ 2026 पूर्व कटाव निरोधक कार्य का कार्यान्वयन कराया जा रहा है, जिसके पूर्ण करने की तिथि निर्धारित है। कराये जा रहे कार्य अंतर्गत कतिपय ऐसे कार्य हैं, जिन्हें निर्धारित तिथि के पूर्व पूर्ण कराया जा सकता है। इस संदर्भ में सभी मुख्य अभियंता (बाढ़ प्रक्षेत्र) को निदेशित किया गया कि परिक्षेत्राधीन बाढ़ 2026 पूर्व कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्यों को पूर्ण करने हेतु व्यावहारिक अवधि का आकलन कर उक्त अवधि में कार्य को पूर्ण करने का हरसंभव प्रयास सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन–सभी मुख्य अभियंता, बाढ़ प्रक्षेत्र)

8. प्रत्येक वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि से भी कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन कराया जाता है। आपदा प्रबंधन विभाग से वैसी योजनाओं के ससमय स्वीकृति हेतु प्रयास किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन–अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो० एवं मो० अंचल, पटना)

9. कार्यों की गुणवत्ता से समझौता बिल्कुल अवांछनीय है। कार्यों में गुणवत्ता एवं विशिष्ट पर विशेष ध्यान देते हुए गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन–सभी मुख्य अभियंता, बाढ़ प्रक्षेत्र)

10. क्षेत्रीय वरीय पदाधिकारी अपने–अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत कार्यान्वित कार्यों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे एवं कार्य में किसी प्रकार की अवरोध/बाधा दृष्टिगोचर होने पर उसका निराकरण ससमय सुनिश्चित करेंगे। विभाग स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित होने की स्थिति में आवश्यक प्रस्ताव विभाग को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–सभी मुख्य अभियंता, बाढ़ प्रक्षेत्र)

11. सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी अपने–अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तटबंधों/संरचनाओं का नियमित निरीक्षण करेंगे एवं संबंधित जिला प्रशासन/स्थानीय लोगों के साथ सतत समन्वय एवं संपर्क बनाए रखेंगे, जिससे बाढ़ अवधि के दौरान प्रभावी निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई में सहयोग प्राप्त हो सके।

(अनुपालन–सभी मुख्य अभियंता, बाढ़ प्रक्षेत्र)

12. कार्यों में प्रयोग किये जाने वाले जीयो बैग के गुणवत्ता जाँच (यूवी (UV) परीक्षण सहित) हेतु कारगर व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन– मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना)

13. बाढ़ अवधि के दौरान नेपाल प्रभाग में उत्तर बिहार के विभिन्न नदी बेसिन में होने वाले वास्तविक वर्षापात/वर्षा पूर्वानुमान की सूचना ससमय प्राप्त करने निमित आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन– संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना/निदेशक, गणितीय प्रतिमान केन्द्र, पटना/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–4, पटना)

14. विभागीय परिसम्पत्तियों का Inventory प्रमंडलवार/मुख्य अभियंतावार आवश्यकता के अनुरूप विभाजित (Future use Based and Sparable Assets) कर तैयार कर लिया जाए तथा प्रशासनिक सहयोग प्राप्त कर अतिक्रमित विभागीय सम्पत्ति को चिन्हित करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई–सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता)

15. विभागीय कार्यहित में कार्य के कार्यान्वयन हेतु गंभीर मुद्दे जिनपर उच्चस्तरीय निर्णय लिया जाना आवश्यक हो उचित माध्यम से आवश्यक निर्णयार्थ उपस्थापित किये जाने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह०/–
(चंद्रशेखर सिंह)
सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/विविध/167/2023 425 पटना, दिनांक–29/05/23

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/5/23

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/विविध/167/2023 425 पटना, दिनांक–29/05/23

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/5/23

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/विविध/167/2023 425 पटना, दिनांक–29/05/23

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/ सिंचाई सृजन/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/23

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/विविध/167/2023 425 पटना, दिनांक–29/05/23

प्रतिलिपि :– श्री मनोज रमण, तकनीकी परामर्शी/विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/ सभी मुख्य अभियंता/ श्री रवीन्द्र कुमार शंकर, नीतिगत मामलों के सलाहकार/श्री ईश्वर चन्द्र ठाकुर, अध्यक्ष, वाल्मी शासी पर्षद के परामर्शी/संयुक्त सचिव, अभियंत्रण/संयुक्त सचिव, प्रबंधन/ प्रधान सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4/बाढ़/सिंचाई/सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी अवर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

29/5/23

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/विविध/167/2023 425 पटना, दिनांक–29/05/23

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधितों को ई–मेल करने एवं बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/5/23

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार